13.10 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Damage to crops and cattle due to heavy rains in Bidar district of Karnataka and need for help to the affected people.

श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी (बीदर) : उपाध्यक्ष महोदय, बीदर जिला (कर्नाटक) में इस साल मौसम की बारिश एक महीना देर से शुरू हुई और लगातार तीन महीने भारी वर्षा के रूप में होती रही । नतीजा यह हुआ कि खरीफ की फसल किसान उत्पादित नहीं कर पाया । भारी वर्षा के कारण मकान गिर गये, सड़कें सब उखड़ गई, तेगमपुर ता० औराद जैसा तालाब फूटकर तीन गांव की जमीन मिट्टी के साथ उखड़ गई जो मरम्मत करने के बावजूद भी कम से कम दस साल में नहीं आयेगी। भारी वर्षा के कारण हर गांव में दूध देने वाले तथा खेती के काम आने वाले जानवर (पशु) मर गये ।

महाशय, साथ ही खेती पर निर्भर मजदूरों पर इसका भारी असर पड़ा है। उनके हाथ को काम नहीं रहा और बेकारी, भुखमरी की वजह से इनमें भविष्य के उदर निर्वाह के बारे में डर व असुरक्षितता पैदा हुई है ।

राज्य सरकार ने हालात की गम्भीरता को नहीं समझा है और किसी भी प्रकार की सहायता कार्य शुरू नहीं किया हैं । 20 सूत्री कार्यक्रम एन० आर० पी०, डी० पी० ए० पी०, स्पेशल कम्पोनेन्ट जैसे भारत के कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किये जा रहे हैं ।

आपके माध्यम से मैं सम्बन्धित मंत्रालय को विनती करता हूं कि इस मामले में आदेश जारी करके वहां के लोगों की मदद करे ।

(ii) Need to allow 25 per cent weightage on existing workload for creations, upgradation and bifercation of existing postal units in hilly regions.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur): The expansion of postal network in the rural areas is a very important item for the infrastructure in the country in general for the hilly and backward areas in particular. It is, therefore, essential that not only more Branch Post Offices and sub-post offices should be provided in such areas but it is also essential that the Administrative Units and institutions should be smaller in size so far as the hilly and backward regions are concerned, keeping in view their difficult geographical terrain. Hence, it is essential that 25 per cent weightage is allowed for the upgradation and bifurcation of the existing units, like sub-post offices, Head post offices and postal divisions on the existing work-load so as to ensure better management and efficiency in postal operations.

I, therefore, request the Ministry of Finance and the Ministry of Communications to allow this weightage of work-load for the creation, upgradation and bifurcation of the existing postal institutions and administrative units as per norms prescribed by the S.I. units.

At present, this weightage is allowed for telecom side only.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं गम्भीर बात यह उठाना चाहूंगा कि कोई भी मिनिस्टर यहां नहीं है । मैं अपनी बात क्या पढ़ूं ।

श्री नारायण चन्द्र पाराशर : ये डिप्टी मिनिस्टर यहां बैठे हैं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Whatever you suggest under rule 377, is sent to the respective Ministries for action. It is a lunch hour.